राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 723/2006/जोधपुर

मैसर्स कैरियर एयरकॉन लिमिटेड,सिलवासा
मैसर्स सनसिटी होटल प्रा.लि., जोधपुर — अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–द्वितीय, वृत–डी, जयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 25.05.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 2186/आरएसटी/एनआरडी/97–98 में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 84 के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 02.08.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, वृत–डी, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत रू. 1,49,400/–शास्ति आरोपित की गई, जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर उन्होनें आरोपित शास्ति को यथावत रखाा है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 23.10.1997 को वाहन संख्या एच आर 46/3312 को एयर कन्डीसन को परिवहनित करते हुए चेक किया गया। परिवहनित माल के सम्बन्ध में बिल एवं बिल्टी प्रस्तुत करने पर उनकी जांच पर पाया गया कि कूलिंग इक्वीपमेन्ट्स अधिसूचित वस्तु की श्रेणी में आते है,जिसके परिवहन के समय घोषणा पत्र एस टी 18ए होना आवश्यक है। वक्त चेकिंग दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना किसी के भी उपस्थित नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने माल की कीमत रू. 4,98,000/– पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 1,49,400/–आरोपित कर आदेश दिनांक 10.11.1997 पारित किया, जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने माल क्रेता मैसर्स सनसिटी होटल प्रा.लि., जोधपुर द्वारा मंगवाये जाने एवं अपील विक्रेता व्यवहारी मैसर्स

कैरियर एयरफोन लिमिटेड,सिलवासा द्वारा प्रस्तुत किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 84 के अन्तर्गत अपील ग्राह्य नहीं मानते हुए अस्वीकार कर दी, जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि क्रेता व्यवहारी मैसर्स सनसिटी होटल प्रा.लि., जोधपुर अपने होटल के लिए चार एयर कन्डीशनर खरीदने का आदेश दिया था । उनका कथन है कि जिस तारीख पेशी के लिए नोटिस जारी किया गया था उस तिथि को राजकीय अवकाश होने के कारण दूसरा तथाकथित नोटिस जारी किया गया, जो उसे तामील नहीं हुआ है, इस प्रकार उन्होंने सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये ही एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए शास्ति आरोपित की है, जो पूर्णतः अविधिक है। उनका कथन है कि उसके द्वारा क्रय किये गये एयर कन्डीशनर स्वंय के उपयोग के लिए था ना कि विक्रय के लिए, इसलिए घोषणा पत्र एस टी 18ए की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी,रेकार्ड एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। रेकार्ड एवं आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश मैसर्स सनसिटी होटल प्रा.लि., जोधपुर के विरूद्ध अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत आदेश पारित किया जाकर मांग पत्र मय आदेश तामील करवाया गया जबकि उक्त आदेश के विरूद्ध अपील मैसर्स कैरियर एयरकॉन लिमिटेड,सिलवासा द्वारा प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,करापवंचन बनाम मैसर्स राजेन्द्र कुमार अशोक कुमार, जोधपुर (7 एस टी टी पेज 94) के प्रकरण में पारित निर्णय का अनुसरण करते हुए राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 899/2003/जयपुर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,घट तृतीय, वृत–द्वितीय,राजस्थान, जयपुर बनाम मैसर्स अग्रवाल स्टील फर्नीचर,स्टेशन रोड, अलवर दिनांक 21.10.2003 में अपील प्रस्तुत करने पर अधिकार विवादित आदेश से प्रभावित जिस व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, का माना गया है।

हस्तगत प्रकरण में विवादित आदेश मैसर्स सनसिटी होटल प्रा.लि., जोधपुर के विरूद्ध पारित कर शास्ति आरोपित की गई है, जबकि अपील मैसर्स कैरियर एयरकॉन लिमिटेड,सिलवासा द्वारा प्रस्तुत की गई, इसलिए अपीलीय अधिकारी द्वारा उसे श्रवण

योग्य ग्राह्य नहीं मानते हुए अपील अस्वीकार की है, जो उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2005 की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य